

क्रमांक- 3323.269/12/15 / 3326
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल 46000

भोपाल, दिनांक 29/12/16

// आदेश //

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी-2008 परिषद क्रमांक एफ-11/17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों में अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों को (द्वितीय उच्चतर वेतनमान) में वेतन बैंड रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 3200/- के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके के नाम के समक्ष दशांशे अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है :-

सक्र	कर्मचारी का नाम व पदनाम सहायक मानचित्रकार	विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावी होने का दिनांक
01	श्री छोटे लाल सिंह	19.09.1995	19.09.2015
02	श्री अमृत लाल कोल	07.02.1994	07.02.2014
03	श्री अब्दुल हसीन	01.11.1994	01.10.2014
04	श्री रामायण प्रसाद शर्मा	10.02.1995	10.02.2015
05	श्री रामधनी प्रजापती	14.08.1995	14.08.2015

सामान्य शर्तें-

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान की अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान की वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल दिनांक 29/12/2016

पृ क्रमांक 3323.269/12/15
प्रतिलिपि -

3327

- 1 मुख्य अभियंता गंगा कछार जल संसाधन विभाग सीवा।
- 2 अधीक्षण यंत्री,
- 3 कार्यपालन यंत्री
- 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
- 5 संबंधित श्री
- 6 संबंधित श्री सहायक मानचित्रकार द्वारा स.क्र 01
वेब मैनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल
की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट स.क्र-23 के त्तिये-

संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जांच संयुक्त संचालक कोष एव लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता